

।।कार्यालय, उप वन संरक्षक, टौंस वन प्रभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)।।

E-mail-dfo tons@yahoo.co.in.phone/fax-01373-223328

पत्रांक 2490 / 12-1 दिनांक, पुरोला, 15/05/2019।
सेवामें,

प्रबन्धक,
रिलायंस जियो इन्फोकॉम,
तृतीय तल मकर चेम्बर 4,222,
नरिमन प्वाइन्ट महाराष्ट्र।

विषय :- विषय- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला मोरी के अन्तर्गत त्यूनी-पुरोला नौगांव मोटर मार्ग के किनारे ऑर्टकल फाइवर केवल बिछाने हेतु 0.9449 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु Reliance Jio Infocom Ltd को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 30 वर्षो की लीज पर दिए जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के शासनादेश सं०-एफ०न०-11-09/98-एफ०सी० दिनांक 16-10-2000, 08-04-2009 शासनादेश सं०-एफ०न०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 एफ०न०-11-568/2014-एफ०सी० दिनांक 02-02-2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड के शासन के आदेश सं०-156/7-1 2005-500(826)/2002 दिनांक 09.09.2005 व उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं०-386(1)/X-4-19/2(27)/2018 दिनांक 26-04-2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में वर्ष 2019-20 के लिए एन०पी०वी० एवं 100 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु निर्धारित दरों पर भुगतान अपेक्षित है। संलग्न वितरण के अनुसार भुगतान जमा करने की कृपा करें।

अतः सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०पी०मिश्रा)

उप वन संरक्षक

टौंस वन प्रभाग, पुरोला।

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(आर०पी०मिश्रा)

उप वन संरक्षक,

टौंस वन प्रभाग, पुरोला।

01/0

जनपद उत्तरकाशी के नौगांव-पुरोला-मोरी-त्यूनी मोटर मार्ग के किनारे आस्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु 0.9449 हे० वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि० को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 30 वर्षों के लीज पर दिए जाने के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र।

टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

क्र० सं०	प्रस्ताव संख्या	हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (हे०मे)	ईको क्लास श्रेणी	हरियाली का घनत्व	मद का विवरण	क्षेत्रफल (हे० मे)	दर प्रति हे० प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक स०-972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित दर के अनुसार	जमा की जाने वाली आकलित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					1. NPV	0.9449	6,57,000/-	6,20,799.30
2	FP/UK/OTHERS/334772/2018	0.9449	5	0.1	2. 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षीय रख-रखाव	—	12,10/-	1,21,000
Total:-								7,41,799/-
Or Say:-					सात लाख इक्तालीस हजार सात सौ नित्यानबे रुपये मात्र)			

(आरोपी० मिश्रा)

उप वन संरक्षक,

टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।